

रीख  
डुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नय्यर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए।

हरिकिशन बनाम विश्राम  
प्रार्थना पत्र संख्या- 02/30/2025

21.04.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 180 खसरा संख्या 202/0.04, 203/0.26, 204/0.71, 233/0.53, 236/0.31, 238/0.54, 251/1.14 खाता संख्या 183 खसरा संख्या 547/0.24 वाके ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात को विधित्त रूप से तकसीम होने तक आराजी के किसी भी विशिष्ट भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुन्तकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करें, ना ही करावे, ना ही प्रार्थी को उनके हिस्सेनुसार कब्जे-काश्त व उपयोग-उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण की मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 180, 183 वाके ग्राम जानेटा तहसील राजगढ़ की सहखातेदारी खातेदारी है। विवादित आराजी की तकसीम होने तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खाता संख्या 180 खसरा संख्या 202/0.04, 203/0.26, 204/0.71, 233/0.53, 236/0.31, 238/0.54, 251/1.14 खाता संख्या 183 खसरा संख्या 547/0.24 वाके ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्टर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 02.06.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।



(हरकेश गीना आर.ए.एस)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

जिला अलवर

23/5/25

आज यह पत्रावली मुलावाफ के साथ प्रार्थना पत्र पर दि 21/06/25 से तलब होकर पेश हुई। मुलावाफ संख्या 01/32/2025 के विद्वे करने के कारण आ.पत्र 212 की विद्वे किया जाता है। प्रार्थी के स्व. कर खासरीज किया जाता है। हाजा न्यायालय खासरीज आदेश दि 21/4/25 की इसी स्तर पर खासरीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा लेख अनुसार है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़  
जिला-अलवर